

मध्यप्रदेश विधान सभा

करवाची - अप्रैल, 1994 संच

विभिन्न बहारी सूची

बुधवार, दिनांक 2 मार्च, 1994 (काल्पुन 11, 1915)

समय 10.30 बजे दिन

1. प्रक्षेत्र

पृथकतः वितरित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेंगे तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे।

2. पत्रों का पटल पर रखा जाना

श्री अचय मुशरान, वित्त मंत्री, कम्पनीज एक्ट, 1956 की धारा 619-क की उपधारा (3) (ख) की अपेक्षानुसार "वि प्राइडेन्ट इन्वेस्टमेन्ट कंपनी लिमिटेड" का दिनांक 31 मार्च, 1992 को समाप्त हुए वर्ष का वार्षिक प्रतिवेदन पटल पर रखेंगे।

3. नियम 138 (1) के अधीन ध्यानाकरण

(1) सर्वश्री गोपाल भार्गव, रामलखन शर्मा, सदस्य, प्रदेश में बीड़ी निर्माण में कमी से अधिकों में फैल रहे असतोष की ओर श्रम मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे,

(2) सर्वश्री डिलीप भट्टेरे, गौरीशंकर बिसेन, अरुण बोरा, सदस्य, बालाघाट जिले के अनेक क्षेत्रों में बनो की हो रही अवैध कटाई की ओर बन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

4. याचिकाओं की प्रस्तुति

(1) श्री बच्चन नाथक, सदस्य -

(क) जिला जबलपुर विकास खण्ड-बड़बारा स्थित महानदी एवं उमरेर नदी के किनारे के गांवों में सिंचाई हेतु उद्धवन सिंचाई योजना निर्माण हेतु,

(ख) जिला जबलपुर तहसील कटनी के अन्तर्गत ग्राम बिलहरी में विकासखण्ड कार्यालय की स्थापना किये जाने,

(ग) जिला जबलपुर तहसील मुडबारा, विकास खण्ड बड़बारा के ग्राम बड़बारा में नलकूप का निर्माण किये जाने,

(घ) जिला जबलपुर विकासखण्ड रीठी ग्राम-पंचायत पिपरिया परौहा में सामूहिक सिंचाई सुविधा हेतु 10 नलकूप की स्वीकृति, तथा

(ड) जिला जबलपुर के ब्लाक रीठी के ग्राम पिपरिया परौहा में हाईस्कूल खोले जाने,

(2) श्री नानालाल पाटीदार, सदस्य -

(क) जिला एवं तहसील मन्दसौर के गांव चांदखेड़ी में तीन हैंडपंप लगाने,

(ख) जिला मन्दसौर के ग्राम साकरिया, गांव शिवना तट पर लड़क बनवाने,

(ग) जिला एवं तहसील मन्दसौर के ग्राम इस्मखेड़ी में कुओं की मरम्मत व दो हैंडपंप ठीक कराने, तथा

(घ) जिला मन्दसौर के ग्राम कुचडौद में एक टैकी व सभी मोहल्लों में पाइप लाइन लगाने,

(3) श्री मनहरण लाल पाण्डेय, सदस्य -

(क) जिला बिलासपुर विकास खण्ड तखतपुर के ग्राम पंचायत-डोमनपुर में विद्युत लाइन के बीस खंबे लगाये जाने,

(ख) जिला बिलासपुर विकास खण्ड तखतपुर के ग्राम सागर में होम्योपेथिक औषधालय खोलने, तथा

(ग) जिला बिलासपुर विकास खण्ड तखतपुर के ग्राम पंचायत खरगहना में विद्युत प्रदाय किये जाने,

के संबंध में याचिकाये प्रस्तुत करेंगे।

5. राज्यपाल के अधिभाषण पर श्री जालमसिंह पटेल, सदस्य द्वारा
दिनांक 21 फरवरी, 1994 को प्रस्तुत निम्नलिखित प्रस्ताव पर चर्चा (क्रमशः)

"राज्यपाल ने जो अधिभाषण दिया उसके लिये मध्यप्रदेश विधान सभा के इस सत्र में समवेत सदस्यगण अत्यधित कृतज्ञ हैं"।

भोपाल :

दिनांक : 1 मार्च, 1994

शीलना चाचा

सचिव,

मध्यप्रदेश विधान सभा